(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

इकबाल बनाम तहसीलदार पीपलू

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

प्रकरण संख्या 103 सन् 2025

Trans 2025/308

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.06.25	पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी नोटिस प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	
9.6.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] आकेशिका अनुसार दिनांक 19/06/25 पेश हो। Ram	
19.06.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] आकेशिका अनुसार दिनांक 20.06.25 पेश हो। Ram	
20.06.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाये जाने बाबत् प्रस्तुत कर कथन कर अपने प्रा0पत्र व बहस में निवेदन किया की आवेदक इकबाल कुरेशी ने अपनी खातेदारी की भूमि आराजी ख0न0 187/13 वाके ग्राम करीमपुरा की पत्थरगढी हेतु न्यायालय हाजा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि आवेदक ने उक्त भूमि का बेचान प्रार्थी सहर अहमद पत्नि आतिफ खान जाति मुसलमान निवासी समर्थ सम्पदा, लोखण्डवाला बैक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई को विक्रय कर दिया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि का नामान्तकरण भर चुका है तथा प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में इस भूमि की मालिक, स्वामी, काबिज हो चुकी है तथा इस भूमि कीं पत्थरगढी किये जाने के आदेश किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नही उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner

है। अतः प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को वाद में पक्षकार बनाये जाने का आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने प्रस्तुत प्रार्थना का जवाब पेश न कर सीधे बहस का निवेदन किया एवं अपनी बहस में बताया की आवेदक इकबाल कुरेशी ने अपनी खातेदारी की भूमि आराजी ख0न0 187/13 वाके ग्राम करीमपुरा की पत्थरगढी हेतु न्यायालय हाजा में आवेदन प्रस्तुत किया है। जबकि आवेदक ने उक्त भूमि का बेचान प्रार्थी सहर अहमद पत्नि आतिफ खान जाति मुसलमान निवासी समर्थ सम्पदा, लोखण्डवाला बैक रोड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई को विक्रय कर दिया है। प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर क्रेता सहर अहमद को पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया है। जबकि प्रस्तुत प्रार्थना में पक्षकार बनाये जाने की बजाय प्रार्थी सहर अहमद को पृथक से पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत कर चाराजोही करनी चाहिए। उक्त प्रार्थना पत्र अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीतं नही होता है। क्योकि नये खातेदार के संबंध में कब्जे बाबत् रिपोर्ट भी तलब किया जाना है। इसलिए पृथक से आवेदन हेतु आदेशित किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व जवाब प्रा0पत्र का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त विवादित आराजीयात को लेकर तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसमें नवीन क्रेता के कब्जे काश्त बाबत् अंकन नही है। प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने के उपरान्त भी नवीन आवेदक सहर अहमद के कब्जे काश्त संबंधी रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक है। जिससे प्रकरण में वैसे भी विलम्ब कारित होना स्पष्ट है। वैसे प्रार्थी सहर अहमद न्यायालय में पृथक से नवीन आवेदन अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956 प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है। प्रार्थी/क्रेता सहर अहमद नवीन आवेदन प्रस्तुत कर चाराजोही करे। प्रकरण प्रार्थी/क्रेता को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाये जाने इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25.06.2025 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

FORM NO. III

App. A
Crim-I

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकाम

इकबाल कुरेशी बनाम तहसीलदार पीपलू

नं 103 सन 2025

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/06/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। व पत्रावली का अवलोकन किया गया, व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया जाकर प्रस्तुत प्रा.पत्र खारिज किया जाकर निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner